न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– 3427/2015
आर.सी.एम.एस. :– 2015/00123
दायर तिथि :– 21.07.2015
तारीख निर्णय :– 24.12.2019

प्रार्थीगण :– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

स्व. कुलदीप कौर के का.मु.
1. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कुलतार सिंह
2. श्री इन्द्रजीतसिंह पुत्र श्री कुलतार सिंह
3. श्री हरजीतसिंह पुत्र श्री कुलतार सिंह
4. श्रीमती मनीन्द्र कौर पुत्री श्री कुलतारसिंह
5. श्रीमती बलविन्दर कौर पुत्री श्री कुलतारसिंह

जातिगण – सिक्ख, निवासीगण – सुमेरपुर
तहसील – सुमेरपुर, जिला – पाली

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र रामसिंह
2. भगवतसिंह पुत्र विजयसिंह

जातिगण – राजपूत,
निवासीगण – जाखोड़ा
तहसील –सुमेरपुर, जिला – पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, 1955 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय :– दिनांक : 24.12.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2019	उभयपक्षीय अधिवक्तागण द्वारा इस प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि बाबत मूल वाद पत्रावली के निर्णय तक रेकर्ड एव मौके की स्थिति को यथावत कायम रखने हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः उभयपक्षीय अधिवक्ता दलील एव सहमति पर वादग्रस्त कृषि भूमि जो सरहद मौजा जाखोडा तहसील सुमेरपुर में खसरा नं. 907 रकबा 0.46 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है, के बारे में दोनों पक्षकारों अर्थात खातेदारों को पाबन्द करते हुए मूलवाद पत्रावली के निर्णय तक रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत कायम रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। इस आदेश से दोनों पक्षकार पाबन्द रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरेइजलास सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.01.08 13:05:25 IST
Reason: SelfAttested